

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ०सं०वि०-26/2003 दिभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला मे जिला उपभोक्ता परिषद के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में सिवान, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| 1 | जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) | जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | - | सदस्य |
| 4. | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) | विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. | उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. | जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. | जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. | जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, जिला परिषद | - | सदस्य |
| 11. | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) | महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. | श्रीमती शबनम सिद्धिकी
पति- श्री रिजवान खान
पता- मो०- पुराना किला,
नियर सरसैयद चौक, जिला- सिवान।
मो०- 9409837129, 9031429360 | - | सदस्य |
| 13. | श्रीमती शिला देवी
पति- श्री राजेश प्रसाद गुप्ता
पता- ग्राम- लक्ष्मी बाजार, पो०- सरारी,
प्रखण्ड- गोरेयाकोठी।
जिला- सिवान। मो०- 9939064775 | - | सदस्य |
| (घ) | स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. | डा० शिवाकान्त उपाध्याय
पिता- स्व० प० जगत किशोर उपाध्याय
पता- ग्राम- पंचबेनिया, पो०- कशिला, थाना- असौव, | - | सदस्य |

✓

- जिला- सिवान, पिन कोड- 841287
मो0- 9431078557
15. श्री प्रमोद कुमार बैठा, - सदस्य
पिता का नाम - श्री रोहिल बैठा
पता- ग्राम- हुसैना कारा, पो0- औराड़,
थाना- एम0एच0 नगर, पिन कोड- 841203
जिला- सिवान। मो0- 8651005206, 9931032322
16. श्री विवेक कुमार यादव, - सदस्य
पिता का नाम - श्री सत्यदेव राय,
पता-ग्राम- बड़कागाँव, टोला बाल्हा,
पो0- बड़का गाँव, थाना- भगवानपुर हाट,
जिला- सिवान। पिन- 841408
मो0- 8969202275
17. डा0 दानिश अहमद, - सदस्य
पिता का नाम - स्व0 राफिक अहमद,
पता- ग्राम+पो0- हथौड़ा,
जिला- सिवान, पिन कोड- 841237।
मो0- 9234708030, 8083135786
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री ओमप्रकाश सिंह, - सदस्य
पिता- श्री ब्रह्मा सिंह,
पता- खेदुछापरा, पो0- सिकटिया,
थाना- महाराजगंज, जिला- सिवान।
पिन कोड- 841224, मो0- 9939279577
19. श्री अरुण कुमार प्रसाद, - सदस्य
पिता का नाम- स्व0 वीरू महतो,
पता- ग्राम0+पो0- सोहीलपटी,
थाना- बसंतपुर, जिला- सिवान।
मो0- 9973495079
20. श्री मनोज कुमार झा, - सदस्य
पिता का नाम- श्री जगरनाथ राग,
पता- ग्रा0+पो0- खेदवा,
भाया- वसंतपुर, पिन- 841406,
जिला- सिवान। मो0- 9430879711
21. श्री मुजफ्फर आलम, - सदस्य
पिता का नाम- स्व0 तरवात हुसैन,
पता- ग्राम+पो0- बड़कागाँव,

थाना- भगवानुपर हाट, जिला- सिवान।

पिन- 841408, मो0- 9430879711

(च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति

22. श्री संदीप शर्मा, - सदस्य
पिता का नाम- श्री जानकी शर्मा,
पता- ग्राम+पो0- सावना भाया मिरगंज,
जिला- सिवान, पिन- 841438,
मो0- 9006704741
23. मो0 रफी अहमद, - सदस्य
पिता का नाम- स्व0 अबू बरकात,
पता- मिर्जा जमशेद अशरफ,
ग्राम- माधोपुर, पो0+थाना- बड़हरिया,
जिला- सिवान, पिन- 841232
मो0- 9234866311
24. श्री शैलेश कुमार, - सदस्य
पिता का नाम- श्री चन्द्रदेव प्रसाद,
ग्राम+ पो0- मोलनापुर, थाना- बसंतपुर,
जिला- सिवान, पिन कोड- 841406,
मो0- 9835811200
25. श्री अनिल कुमार, - सदस्य
पिता का नाम- श्री गणेश बैठा,
पता- ग्राम+पो0- मेरही,
थाना- एम0एच0 नगर,
जिला- सिवान, पिन कोड- 841240
मो0- 9525051046

(2) शर्त:-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1930 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगे जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य जैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरीक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार) 15-

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15-

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7070

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. प्रतिलिपि:- समहर्ता, सिवान से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7070

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7070

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक